

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग / नर्स-1 / वी-12 / 18474 / 2024 / 112

दिनांक:- 19/3/2024

-: आदेश :-

श्री विजय प्रतापसिंह ,वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीग जिला डीग को मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर अवकाश नियम चिकित्सा अवकाश मूल नियम 81(ख)(2) तथा मूल नियम 89,90, व 91 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत निम्न अवधि का परिवर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1.दिनांक 20.08.2022 से 15.02.2023 तक 180 दिवस परिवर्तित अवकाश

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग / नर्स-1 / वी-12 / 18474 / 2024 / 112

दिनांक:- 19/3/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन भरतपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डीग,को उनके पत्रांक 44 दिनांक 20.01.2024 के कम में।
3. कनष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डीग।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
5860915



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma

Designation: Director

Date: 2024.03.18 23:13:21 IST

Reason: Approved